(जिला निर्वाचन शाखा)

आम सूचना

निर्वाची पदाधिकारी के हस्तक (मुद्रित–2009) अध्याय 13 विधि की कंडिका 10.1 से 13.3 तक में निहित निदेश के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन कागजातों के अभिरक्षण के लिये निर्धारित समयावधि के बीत जाने के फलस्वरुप जिला निर्वाचन भण्डार में पड़े हुए बहुत सारे अनुपयोगी कागजात यथा पुरानी मतदाता सूची, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र, स्टेच्यूटरी एवं नन स्टेच्यूटरी पैकेट्स तथा अन्य कागजात के निष्पादन हेतु वेस्ट पेपर कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान से कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक प्रतिष्ठान अपना कोटेशन शील्ड लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर में दिनांक: 10.12.11 .... तक जमा कर सकते हैं। प्रतिष्ठान को रद्दी मतपत्र एवं पुराना मतदाता सूची और अन्य प्रपत्रों का अलग–अलग दर अंकित करना होगा। कोटेशन में सफल प्रतिष्ठान को 5000.00 रुपये सुरक्षित जमा के रुप में जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर में जमा करना होगा जो राशि कागजात के मिल से गलाने के प्रमाण–पत्र समर्पित करने के पश्चात्,वापस की जायेगी।

27/11/11

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: .... /नि0, दिनांक: ....

प्रतिलिपि: निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त कोटेशन की सूचना का प्रकाशन दो हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में एक दिन के लिये दिनांक: 10.12.11 के पूर्व करने की कृपा की जाय।

27/11/11

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 559 /नि0, दिनांक: 28.11.2011

प्रतिलिपि: अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/ जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर/महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर/ सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, मुंगेर/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचना पट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुंगेर/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर जिला/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला सूचना पट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

27/11/11

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

26.XI.11

Sujay_ AamSoochana_1